

कार्यपालिक सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन तथा लेखां की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालिक सारांश इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं पहलुओं के सारांश के माध्यम से, राजकोषीय धारणीयता, बजट भावना के विरुद्ध निष्पादन, राजस्व तथा व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2018-19 में ₹ 9,11,519 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 14,13,620 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 16.04 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का कुल व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 1,87,524 करोड़ से 31.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ हो गया।

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 6.02 प्रतिशत बढ़ी और जीएसडीपी पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 में 15.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 13.79 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 12.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्व-कर राजस्व में 16.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2021-22 में ₹ 2,34,563 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 2,46,452 करोड़ हो गया। इसमें से, राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 से 7.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा वर्ष 2021-22 की तुलना में 21.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 25,870 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,491 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में ₹ 48,238 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 51,028 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत जैसे राज्य का स्व-कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, करों में राज्य के हिस्से का हस्तांतरण, सहातार्थ अनुदान और संघ सरकार से हस्तांतरण एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (संपत्ति सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियाँ औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.75 प्रतिशत के साथ ₹ 1,37,873 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,94,988 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹ 36,110 करोड़ से घटकर ₹ 35,264 करोड़ रह गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 14.53 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 15.31 प्रतिशत हो गया, जो

भारत सरकार पर बढ़ती निर्भरता का संकेत है। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 14,554 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत संरचना और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 1,66,773 करोड़ (जीएसडीपी का 18.30 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 2,26,479 करोड़ (जीएसडीपी का 16.02 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (88.93 से 91.90 प्रतिशत) बना रहा।

एकल नोडल एजेंसी को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली की शुरूआत की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी लेखों के बाहर एसएनए के बैंक स्वाते में स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 13,826.93 करोड़ अपने कोषालय लेखों में प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, कोषालय लेखों में प्राप्त ₹ 15,483.89 करोड़ (पूर्व शेष सहित) और राज्य का हिस्सा ₹ 11,632.42 करोड़ सरकार ने एसएनए को हस्तांतरित कर दिये। ₹ 27,116.31 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, ₹ 13,990.79 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 5,160.06 करोड़ पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 325.08 करोड़ पुस्तक हस्तांतरण के माध्यम से, ₹ 7,327.54 करोड़ निजी निक्षेप स्वाते के माध्यम से और ₹ 312.84 करोड़ वर्कर्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (डब्ल्यूएएम) के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) एसएनए-01 रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक स्वातों में ₹ 9,095.98 करोड़ अव्ययित पड़े थे, जो सरकारी लेखों के दायरे से बाहर हैं।

साधन से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 28,900 करोड़ (जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 31,491 करोड़ (जीएसडीपी का 2.23 प्रतिशत) हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत मद में केवल ₹ 19,798 करोड़ व्यय किये। यह वर्ष 2022-23 में कुल व्यय का 8.03 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय कुल उधार का केवल 5.10 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान स्वपत को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में ₹ 34,473 करोड़ (जीएसडीपी का 3.78 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 51,028 करोड़ (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल होता है। वर्ष 2018-19 (55 प्रतिशत) और वर्ष 2022-2023 (51 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 51-56 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2018-19 में ₹ 91,881 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,15,757 करोड़ हो गया {वर्ष 2021-22 (₹ 1,08,609 करोड़) से 6.58 प्रतिशत बढ़ा}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान अलोचनीय व्यय राजस्व व्यय के 20.38 प्रतिशत से बढ़कर 28.49 प्रतिशत हो गया, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। अलोचनीय व्यय वर्ष 2021-22 में ₹ 63,251 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,525 करोड़ हो गया, जिसमें 2.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, वर्ष 2022-23 में प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय ₹ 1,80,282 करोड़; राजस्व व्यय का 79.60 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूँजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

अर्थ-सहाय्य गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत, अर्थ-सहाय्य की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो वर्ष 2018-2019 में ₹ 21,540 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 26,166 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का एक बड़ा हिस्सा 96.20 प्रतिशत से लेकर 98.44 प्रतिशत के मध्य बिजली अर्थ-सहाय्य का रहा।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देयताएं

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2021-22 में ₹ 95,868 करोड़ से 9.35 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ हो गई और सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,988 करोड़) का 53.76 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई।

उपकर/अधिभार का संग्रहण

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक छह आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 5,664.49 करोड़ कम हस्तांतरित किए।

राजकोषीय धारनीयता

राजकोषीय धारनीयता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, प्रत्याभूतियाँ, अर्थ-सहाय्य इत्यादि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण बाधा प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अलोचनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधि में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि भी शामिल हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करते हैं जिनके अन्तर्गत, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना था या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार दसवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्षित आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा (जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत) के भीतर था। बकाया देयताएँ 38.20 प्रतिशत की सीमा के समक्ष 34.92 प्रतिशत थी और दी गई प्रत्याभूतियाँ 60 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के समक्ष 31.01 प्रतिशत थीं।

इसके अलावा, यदि बजट से इतर उधार की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देयताएँ (लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित) जीएसडीपी का 35.01 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृत्तियों के अनुसार, राज्य के वित्त पर भारी दबाव है।

राजस्थान का लोक ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2018-19 में 25.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 26.63 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में ऋण स्थिरीकरण जटिल हो सकता है।

प्राथमिक घाटा सभी पांच वर्षों में नकारात्मक रहा और वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 20,426 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2020-21 के दौरान जी-आर (डोमर अंतर) नकारात्मक था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी रही परिणामस्वरूप जीएसडीपी में नकारात्मक वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप सकारात्मक जी-आर (डोमर अंतर) आया, जिससे संकेत मिलता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर आ जाएगा। हालाँकि, पिछले दो वर्षों में लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण प्राप्ति अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास इतना मजबूत नहीं है कि ऋण पुनर्भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक राज्य का लगातार नकारात्मक प्राथमिक संतुलन रहा है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (वर्ष 2021-23 से जी-आर > 0 के रूप में अभिव्यक्त है) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और इस प्रकार, दो साल के सकारात्मक डोमर अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण स्थिरीकरण की राह पर है।

जैसा कि ऊपर चर्चा किये गए विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, राजस्थान राज्य की चिह्नित वित्तीय स्थिति देयताओं (ऋण, प्रत्याभूति, अर्थ-सहाय्य इत्यादि) की बढ़ती प्रवृत्ति ऋण धारणीयता और ऋण स्थिरता के लक्ष्य के लिए जोखिम पैदा करती है।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (-) 3.91 प्रतिशत था। यह 36 अनुदानों में 0 और ±25 प्रतिशत के मध्य, 11 अनुदानों में ±25 प्रतिशत से ±50 प्रतिशत के मध्य, चार अनुदानों में ±50 प्रतिशत से ±100 प्रतिशत के मध्य और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व अनुभाग की तीन अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (+) 35.02 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और नौ अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, पूंजीगत अनुभाग की 18 अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 18 मामलों में ₹ 6,769 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 2.50 करोड़ से अधिक) अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

अनुदान/विनियोजन से अधिक्य का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण कराना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2022-23 में दो अनुदानों के तहत ₹ 21,069.61 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत प्रकटीकरण

राज्य सरकार ने सहायतार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत ₹ 614.09 करोड़ का बजट प्रावधान किया था एवं स्वायत्त निकायों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में ₹ 493.60 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इस व्यय को भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएएस), सरकारी लेखा नियम (जीएआर) और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एण्ड एआर) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से राजस्व के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

राजस्व की पर्याप्त प्राप्ति के बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान अदावाकृत जमा राशि ₹ 3,000 करोड़ में से ₹ 1,000 करोड़ अपनी राजस्व प्राप्तियों में हस्तांतरित किए। हालाँकि, यह राशि सरकार द्वारा कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी जैसाकि निर्धारित किया गया था। गत वर्ष 2021-22 के दौरान भी

₹ 1000 करोड़ की सामान्य प्रावधायी निधि की अदावाकृत जमा राशि को कार्मिक कल्याण कोष में स्थानांतरित किए बिना राजस्व प्राप्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में मुद्रास्फीति रही एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच विचलन 10 प्रतिशत से कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक के विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि विभिन्न मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं पहुंचा था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रणाली की आवश्यकता होनी चाहिए।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में वो मर्दें, लेनदेन और घटनाएं सम्मिलित हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में विलम्ब के मामलों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मामले जैसेकि निधियों का रोकना और देयताओं के कम या गैर-भुगतान पर भी प्रकाश डालता है।

बजट से इतर उधार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के द्वारा लिया गया उधार जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुआ, लेकिन बजट के माध्यम से पुनर्भुगतान और अदायगी किया जाना राज्य सरकार को आवश्यक है। वर्ष 2022-23 में, राज्य सरकार ने बजट से इतर उधारों के पुनर्भुगतान और अदायगी के लिए ₹1,279.39 करोड़ की सहायता/अनुदान प्रदान किया। यह सरकार द्वारा पुनर्भुगतान और उधार पर दिए गये ब्याज के अतिरिक्त था।

अंकमिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एण्ड एआर) के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान के आंकड़ों के साथ मिलान आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 3,72,189.96 करोड़ और (ii) ₹ 3,55,989.15 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंकमिलान सम्पन्न किया गया। वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का शत-प्रतिशत अंकमिलान सम्पन्न करने में सफल रही है।

भारत सरकार लेखा मानकों का अनुपालन (आईजीएएस)

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आईजीएएस-2: सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण में निर्धारित प्रारूप में सहायतार्थ

अनुदान का प्रकटीकरण नहीं किया और **आईजीएएस-3:** सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम में निर्धारित राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का आंशिक प्रकटीकरण किया।

पीड़ी खातों का संचालन

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 133 पीड़ी खातों को बंद न करना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था और कोषालय के स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में उपयोग के लिए लंबित वृहत अवशेष पड़ा हुआ है। इसके अलावा, बैंक खाते में निधियाँ रखने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों की उचित स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

सशर्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,107.25 करोड़ के 895 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 21 करोड़ के 85 सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 10.15 करोड़ की राशि के 10 विस्तृत आकस्मिक बिल 2021-22 तक की अवधि से संबंधित हैं।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित करने से लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 58 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 10,515.26 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 4.27 प्रतिशत था, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, लेखों के 44 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 12,013.42 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.16 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

गबन, चोरी और हानि

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों में ₹ 126.01 करोड़ की सरकारी धन की गबन, चोरी और हानि के 732 प्रकरण दर्ज किए, जिन पर अंतिम कार्रवाई लंबित है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा न करना; सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल जमा न करना; आईजीएएस-2 और आईजीएएस-3 का अनुपालन न करने और व्यय को उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज न करने से

लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 43 सरकारी कंपनियों (जिनमें से 3 निष्क्रिय कंपनियां हैं), तीन सांविधिक निगमों और पांच सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित 51 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके 62 लेखे बकाया थे, ने वित्तीय विवरण जमा करने में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया था। 27 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹ 1,248.15 करोड़ के कुल लाभ में से 71.73 प्रतिशत का योगदान केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया गया था। 17 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की गई ₹ 18,813.91 करोड़ की कुल हानि में से, पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ₹ 18,756.14 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया लेखों के निपटान की सक्ति से निगरानी हेतु प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार सभी घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कामकाज की भी समीक्षा कर सकती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से क्षरण हो गई है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।
